उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की बैठक

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय में मेट्रो और एनएचएआई अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में मेट्रो अलाइनमेंट और डीपीआर पर विस्तृत चर्चा हुई, विशेष रूप से टोडी मोड़, नींदड़ मोड़ और 14 नंबर पर बनने वाले अंडरपास के अलाइनमेंट में मेट्रो परियोजना के कारण हो रहे बदलावों पर विचार-विमर्श किया गया। उपमुख्यमंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि तीनों फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएं।

राजस्थान में विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र भविष्य की आवश्यकतानुसार विकसित करें : मुख्यमंत्री

घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध और पर्याप्त बिजली हो सुनिश्चित : भजनलाल शर्मा

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को विद्युत उत्पादन में क्रमिक रूप से निरंतर वृद्धि करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई आबादी को पर्याप्त एवं बिना रूकावट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान तेजी से प्रगति कर रहा है और राज्य सरकार वर्ष 2027 तक दिन के समय में किसानों को बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली।

अक्षय ऊर्जा योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आगामी रबी सीजन में किसानों के लिए पीक डिमांड अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के विशेष निर्देश भी दिए। साथ ही, उन्होंने घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का समयानुसार रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए। ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत, देखभाल एवं उपयोग संबंधी प्रक्रिया में सुधार करते हुए प्रभावी कदम उठाए जाएं। शर्मा ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कृषि कनेक्शन को शीघ्र जारी करने के लिए भी विशेष रूप से निर्देशित किया। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण करते हुए 30/11 के जीएसएस का निर्माण कर रही है, ताकि गांव-ढाणी तक बिजली सुगमता से उपलब्ध हो सके। जिन क्षेत्रों में जीएसएस के लिए भूमि अनुपलब्धता का विषय सामने आया हो, वहां जन सहभागिता से भूमि प्राप्त करने पर कार्य किया जाए। उन्होंने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण कार्यों और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर संयत्र की स्थापना की प्रगति की जानकारी ली और दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने और ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रब्यूशन में छीजत को प्रभावी रूप से रोकने के लिए भी निर्देशित किया। शर्मा ने कहा कि खराब मीटर की स्थिति में कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। जो कार्मिक राजकीय कार्य में लापरवाह हैं, उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही, मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। शर्मा ने प्रस्तावित पम्प स्टोरेज योजनाओं, संचालित कोयला, गैस और जल विद्युत परियोजनाओं तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर विस्तृत चर्चा करते हुए उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व वितरण निगमों सहित ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित

जयपुर। जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार एटीएस-एसओजी के एडीजी श्री वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 14 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि बरकतुल्ला स्टेडियम जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी वी.के.सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जैसलमेर से देवाराम, सेवानिवृत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी, सतीश कुमार यादव अतिरिक्त पुलिस

वी के सिंह

अधीक्षक, कामां भरतपुर, सुरेन्द्र सिंह डिप्टी कमांडेंट, एसडीआरएफ,दीपचन्द अति. पुलिस अधीक्षक पीटीएस बीकानेर, दीप्ति जोशी, पुलिस निरीक्षक, एटीएस कोटा, जयसिंह राव, पुलिस निरीक्षक सीआईडी एसबी बांसवाड़ा, मनीष चौधरी, उपनिरीक्षक, रेंज जोधपुर, हरिओम सिंह, प्लाटून कमांडर, पांचवी बटालियन, आरएसी, फतेह सिंह सेवानिवृत उपनिरीक्षक भीलवाड़ा, सुभाष चन्द्र हैड कांस्टेबल सीआईडी सीबी, जयपुर को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार आत्मप्रकाश हैड कांस्टेबल रिजर्व पुलिस लाइन, झुंझुनूं, बल्लू राम कांस्टेबल सीआईडी सीबी, जयपुर, सौराज सिंह मीणा कांस्टेबल द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा तथा गुलझारी लाल कांस्टेबल कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को भी पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

राज्य में 75 स्थानों पर सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां होंगी

- 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जायेंगे विभिन्न कार्यक्रम

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता और प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में राज्य के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधीन विभिन्न अकादमियों के कार्य, प्रगति की अद्यतन स्थिति, एवं अकादमियों की व्यवहारिक समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की गई।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि राज्य में 75 स्थानों, शहरों और कस्बों में आगामी 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए विस्तृत रूप रेखा सभी को प्रेषित कर दी जाएगी, जिसके आधार पर भव्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया जाए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान, के अन्तर्गत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर, ललित कला अकादमी, जयपुर, राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर, राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयपुर, निदेशालय राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर, पण्डित जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जयपुर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर, राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, श्रीगंगानगर, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर द्वारा किये जा रहे कला कार्यो एवं साहित्यिक गतिविधियों के बेहतर आयोजन के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति तथा यहां का साहित्य अत्यन्त गौरवशाली है। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार कलाकारों और साहित्यकारों को उनके कला एवं साहित्य कर्म को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने उक्त साहित्य एवं कला अकादमियों के सचिवों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कला एवं साहित्य से जुड़ें लोगों को नियमित रूप से अवसर दिए जाए, मंच दिया जाए। विभिन्न कला एवं साहित्य अकादमियों द्वारा यथा सम्भव साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के आज के दौर में कला और साहित्यिक गतिविधियों बेहतर प्रचार-प्रसार किया जाने के अवसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कला और साहित्यिक गतिविधियों का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किये जाने के अवसर का लाभ लिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव

जयपुर । राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षिणक सत्र 2025-26 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को इस संबंध में हाईकोर्ट में भी अपना जवाब पेश कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी।

राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि राज्य सरकार ने ठोस कारणों और विद्यार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए इस शैक्षिणक सत्र में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है।

जवाब में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन को देखते हुए छात्रसंघ चुनाव आयोजित करना संभव नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने व वर्तमान शैक्षिणक सत्र के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त मुख्य उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गत 6 अगस्त को बैठक आयोजित की गई थी। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने भाग लिया था। राजस्थान विवि की कुलगुरु अल्पना कटेजा, गंगासिंह विवि, बीकानेर के कुलगुरु मनोज दीक्षित, और कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने की राय दी है।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण देवीराम पुत्र स्व. श्री बद्री प्रसाद आयु 75 वर्ष एवं श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री देवीराम, आयु 65 वर्ष निवासियान 386, राम नगर शास्त्रीनगर, जयपुर-302016 के पुत्र नितीन कुमार, विष्णु कुमार व पुत्रवधुऐ श्रीमती सीमा तथा श्रीमती अनिता मेरे अभिभाष्यगण के कहने सुनने में नहीं है तथा आये दिन मेरे अभिभाष्यगण से लड़ाई-झगडे करते रहते है। इसलिए मेरे अभिभाष्यगण अपने उपरोक्त पुत्रों व पुत्रवधुओं को अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों से बेदखल करत है। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था मेरे अभिभाष्यगण को उक्त पुत्रों से किसी प्रकार का कोई संव्यवहार करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। अत सूचित रहे।
(अजय कुमार कुम्हार) एडवोकेट

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण मोहम्मद इब्राहीम खान पुत्र अली मोहम्मद व अमीरुन निशा पत्नी मोहम्मद इब्राहीम खान, निवासी शॉप नम्बर 15, चांदनी चौक, कालवाड रोड, झोटवाड़ा, जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 60, गुलजार मस्जिद, राजाडिया रेजीडेंसी, शांति नगर-ए, झोटवाड़ा, जयपुर की समस्त चल व अचल सम्पत्ति से उनके पुत्र मोहम्मद इमरान व पुत्रवधू परवीन बानो का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मेरे अभिभाष्यगण अपने पुत्र व पुत्रवधु को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है तथा उनके द्वारा मेरे अभिभाष्यगण की चल व अचल सम्पत्ति के संबंध में किये गये किसी भी संव्यवहार अथक हस्तान्तरण के लिये मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
जयपुर (मनीषी कुमारी) एडवोकेट
दिनांक मो. 8696510081

सार्वजनिक आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय मकान (मय जमीन) जिसका प्लाट नंबर A-10-A अमानिशाह रोड, शास्त्री नगर, जयपुर (राज.) कुल क्षेत्रफल 445.91 वर्गमीटर यानि कि 533.33 वर्गगज है यह कि उक्त सम्पति (1) श्रीमती पार्वतीदेवी (आधार न. 632385819539),(2) श्री पवन कुमार (आधार न. 796113682196), (3) श्री अजय कुमार (आधार न. 549471210393) पत्नी/ पुत्र स्व. श्री रामप्रकाश अग्रवाल, (4) श्रीमती सोनाली (आधार न. 825154429001) पुत्री स्व. श्री विष्णु अग्रवाल पत्नी श्री लोकेश अग्रवाल एवं (5) श्रीमती मोनिका टेमाणि (आधार न. 741078895571) पुत्री स्व. श्री रामप्रकाश अग्रवाल पत्नी श्री विजय टेमाणि सभी हाल निवासी जयपुर विधिक रूप से सयुंक्त शामलित मालिक स्वामी काबिज एवं अधिकारी काबिज हुए हैं यह कि उक्त सम्पति मेरे मुवक्किलों द्वारा क्रय की जा रही है उक्त सम्पति बाबत यदि किसी भी व्यक्ति, संस्थान, फर्म, बैंक, वितीय संस्थान, सगे सम्बन्धी या अन्य किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपति/ एतराज हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में व्यक्तिगत रूप से मेरे निम्नलिखित ऑफिस पते पर अपनी आपति/ एतराज मय असल दस्तावेज सहित व्यक्त करें उक्त अवधि पश्चात् इस आम सूचना बाबत कोई भी व्यक्ति/ एतराज किसी भी न्यायालय में शून्य व निरस्त समझी जावेगी, सूचित रहे।
आंजरिवनी अग्रवाल, अधिवक्ता
ऑफिस: 36 राजीव गांधी परिसर जयंती मार्किट के सामने M.I. रोड, जयपुर, 95291-21308

महर्षि संदीपनी टी.टी. कॉलेज
जगदीशपुरा कोटपूतली, राज.
E-Mail- msttcollege@gmail.com
Sr.No.-3966 Date-13.08.2025
आवश्यकता
प्राचार्य (1) योग्यता एम.ए., एम.एससी. एम.कॉम.एम.एड. नेट पीएचडी अनुभव 13 वर्ष। व्याख्याता (15) योग्यता- एम.ए./एम.एससी. एम. कॉम. एम.एड. पीएचडी/नेट-55% सभी विषयों सहित संगीत, नाट्य शास्त्र, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक-एक सभी मूल दस्तावेजों सहित साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों।
सम्पर्क-7891339763, 8306039763
सचिव-कृत्ते महर्षि संदीपनी टी.टी. कॉलेज, जगदीशपुरा कोटपूतली, राज.

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6266 दिनांक-13.08.2025
जाहिर आम-सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 267/312 (EWS), (एरिया 47.625 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री राम फूल प्रजापत पुत्र श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 4718 दिनांक 16.02.2024 को जारी कया गया। श्री राजीव कुमार पुत्र श्री सवटूमल के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1286/9179 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा किया गया। श्री राजीव कुमार के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 16.03.2021 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री राजीव कुमार द्वारा श्री मुरारी लाल गुप्ता पुत्र श्री मनोहरी लाल गुप्ता को दिनांक 16.04.2021 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री मुरारी लाल गुप्ता द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 29.11.2021 के द्वारा श्री रोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद खण्डेलवाल का नाम विक्रय पत्र में अंकित हो गया था जिसे दिनांक 21.07.2025 को शुद्धिकरण कर श्री रोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद खण्डेलवाल के स्थान पर श्रीमती कान्ता जांगिड़ पत्नी श्री भरत राम जांगिड़ उप पंजीयक-चतुर्थ, जयपुर के यहां शुद्धि पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती कान्ता जांगिड़ पत्नी श्री भरत राम जांगिड़ द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती कान्ता जांगिड़ पत्नी श्री भरत राम जांगिड़ का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

खोया पाया
मेरे मकान नं. 71/346 सेक्टर 7, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के मूल दस्तावेज भौतिक कब्जा पत्र व 7 डेज प्रमाण पत्र मेरे घर से श्योपुर रोड प्रताप नगर सांगानेर जयपुर जाते समय कहीं गिर गए है मिलने पर मो.नं. 9214012355 पर सम्पर्क करें।

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पुत्रवधू **श्रीमती सुमन देवी (जांगिड़)** धर्मपत्नी मनोज जांगिड़ का स्वर्गवास दिनांक 12/8/2025 को हो गया है जिनकी तीये कि बैठक दिनांक 14/ 8/2025 को सांय 4:00 से 5:00 बजे तक स्थान मनभर पैलेस सांगा सेतु पुलिया के पास हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने सांगानेर पर होगी।
शोकाकुल परिवारः राधेश्याम, प्रभुनारायण, सीताराम, मोहनलाल (ससुर) ओमप्रकाश, विनोद, मधुसूदन (जेठ) सुनील, जितेंद्र, विष्णु, गोविंद, यस (पुत्र) कानू (पोत्र) समस्त लौड़ीवाल परिवार कपुरावाला, 13 सरस्वती कॉलोनी सांगानेर मो. 9799900266, 7728010053, 9352034203

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 93/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सुनील विरमानी पुत्र श्री इन्द्रजीत निवासी 07 दया नगर, जनकपुरी अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत लिटिल फ्लावर शिक्षा समिति, गिर्राज दर्शन कॉलोनी, सुभाष चौक के पास, दाउदपुर, अलवर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 08.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13.10.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय पारिवारिक न्यायालय क्रम 5 स्थान जयपुर
ममता विरुद्ध छीतरमल
वाद/प्रार्थना पत्र-13 H.M. Act
प्रार्थना-पत्र संख्या - 74/2023 सन्
नाम छीतरमल पुत्र श्री काना राम उम्र-55 वर्ष जाति...पता निवासी पिपलौद, नारायण देवीपुरा, शाहपुरा जिला जयपुर
उक्त ....ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 21 माह 08 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 04 माह 08 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर अदालत
पारिवारिक न्यायालय क्रम 5 जयपुर महानगर जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/493
चूंकि प्रार्थी श्री PUROHIT NIRAJ KUMAR, A-16, SARASWATI NAGAR, GETOR ROAD, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास VIDHYA VIHAR, S-3, MANGAL MARG, BAPU NAGAR, JAIPUR-302015 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15.10.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/507
चूंकि प्रार्थी श्री LOCHAN SHARMA 747 MEENA COLONY, DURGA MATA MANDIR KE PICHE, DURGAPURA, JAIPUR-302018 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास SAROKAR SANSTHAN, A-16, SARASWATI NAGAR, GATORE ROAD, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.10.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम सौरभ चन्द्र प्रकाश गुप्ता से बदलकर सौरभ गुप्ता पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता निवासी 104 मानसरोवर कॉलोनी कालवाड रोड झोटवाडा रख लिया है भविष्य में मुझे सौरभ गुप्ता के नाम से जाना जावें। 9833296170

मैंने अपना नाम राजेन्द्र कुमार राजोरिया से बदलकर राजेन्द्र राजोरिया पुत्र श्री नवरंग राजोरिया रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता-ए-51, लक्ष्मी नारायणपुरी, सूरज पोल गेट के बाहर, जयपुर

मैंने अपना नाम कुणाल जैन पुत्र अशोक जैन से बदलकर कुणाल जैन पुत्र अशोक कुमार जैन रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता सी-106, विकास मार्ग, अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर।

मैंने अपना नाम कुमारी अर्चना गुप्ता से बदलकर अर्चना रख लिया है। भविष्य में मुझे अर्चना पत्नी चंद्र प्रकाश अग्रवाल निवासी सी-42-ए, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, मॉडल टाउन, जयपुर के नाम से ही जाना जाए। उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के ही है।

I have changed my name Kamal Kumar Godha to Kamal Godha for all future and legal purpose. 502, Royal Avenue Appartment, Dholai, Patrakar Road, Mansarovar, Jaipur-302020

I, Sudarshan Sharma, resident of CD-242 Sumer Nagar, Muhana Road, Dadu Dayal Nagar, Jaipur, hereby affirm that my father's correct name is Madal Lal Sharma. However, due to an error, it has been recorded as Madan Sharma in my passport.

I Sita Dhirawat W/o Chandra Singh Dhirawat R/o 57, Triveni nagar Agra road Luniyawas Jaipur Declare that in my documents my name is entered as Sita Dhirawat but in my child some documents it is entered as Deeps. Both are my names. In future I shall be known as Sita Dhirawat for all purposes Vide affidavit 14.07.2025 Jaipur.

कार्यालय सचिव राज. मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी सामु० स्वा० केन्द शाहबाद (तिजारा) खैरथल – तिजारा
क्रमांक रू–2025/107 दिनांक :– 05.08.2025
खुली निविदा सूचना
सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी प्राथ०स्वा०केन्द्र शाहबाद (तिजारा) खैरथल – तिजारा द्वारा निम्न सेवाये उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत संस्था से निम्नानुसार निविदा आमन्त्रित की जाती है ।

क.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि रूपए	निविदा शुल्क रूपयें	बोली प्रपत्र प्राप्ती की अन्तिम तिथी व समय	बोली प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1.	कंप्यूटर ऑपरेटर मैन विद मशीन (संविदा – 2)	300000/–	6000/–	100/–	20.08.2025 12.00 PM	20.08.2025 1.00 PM	20.08.2025 2.00 PM
2.	सफाई कार्य	150000/–	3000/–		20.08.2025 12.00 PM	20.08.2025 1.00 PM	20.08.2025 2.00 PM

नियम एवं शर्तें :–
1. निविवाऐं दोहरी बिड प्रणाली अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी। पहला लिफाफा (क) तकनीकी बिड का होगा जिसमें अमानत राशि का डीडी /चैक, समस्त वांछित डॉक्युमेंट की प्रमाणित छाया प्रति मय निविदा फार्म लगाया जायेगा। डीडी/बैकर्स चौक राजस्थान मेडिक्येर रिलीफ सोसाइटी शाहबाद के नाम से व तिजारा शाखा पर देय होगा । दुसरा लिफाफा (ख) वित्तीय बिड का होगा जिसमें सिर्फ प्रस्तावित दरें ही दी जावेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी ।
2. प्राप्त निविदाऐं दिनांक 20.08.2025 को दोपहर 1.00 तक जमा की जायेगी तथा 20.08.2025 को दोपहर 2.00 निविदा समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
3. तकनीकी विवरण एवं निविदा की शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध है। जो कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा प्राप्त की जा सकती है।
4. अधिक जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है।
5. निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने के सम्बन्ध मे समस्त अधिकार कमेटी के पास रहेगा।

सचिव
राज. मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी.
सामू.स्वा.केन्द्र शाहबाद (तिजारा)

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
बारिश से रुके ज़रूर, पर थमे नहीं
जयपुर शहर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर विकास कार्य प्रगति पर हैं। इन विकास कार्यों में बीसलपुर पाइप लाइन, सीवर लाइन, बिजली की अंडरग्राउंड केबल, इंटरनेट सेवाओं के लिए OFP केबल और अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन जैसे कार्य शामिल हैं। जन-सुविधा के लिए किए जा रहे इन कार्यों के लिए लगभग 1050 कि.मी. की रोड कटिंग पूरे शहर में चल रही है।
इस वर्ष अत्याधिक बारिश से इन विकास कार्यों में बाधा हुई है और सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।
सड़कों की मरम्मत व जलभराव राहत के लिए जे.डी.ए. द्वारा किए जा रहे कार्य
- विभिन्न कार्यों के लिए 105 टीमें कार्यरत
- 974 कि.मी. लंबाई की सड़कों के रिपेयर कार्य पूर्ण
- 1,678